भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3572

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

थोक और खुदरा मुद्रास्फीति

3572.श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री कल्याण बनर्जी:

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

श्री के. मुरलीधरन:

डॉ थोल तिरुमावलवन:

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या थोक मूल्य मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) 15.9 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है जबकि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई)/खुदरा मुद्रास्फीति पिछले वर्ष जून के 5 प्रतिशत से 7.04 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्य से लगातार पांचवें महीने ऊपर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और मुद्रास्फीति की इस दर के लिए खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें किस हद तक जिम्मेदार हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति दर के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है और परिवारों और रोजगार पर मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है;

(घ) देश में बढ़ती थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान देने वाली शीर्ष दस वस्तुओं का पृथक ब्यौरा क्या है और पैट्रोल, डीजल, ऑटो गैस पर लगाने वाले करों का ब्यौरा क्या है और बढ़ती थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में उनके योगदान का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति की दर को सीमित करने और लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न उपाय करके मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या परिणाम सामने आए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) पर आधारित थोक मूल्य मुद्रास्फीति जून 2022 में 15.18 प्रतिशत थी, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर जून 2022 में 6.26 प्रतिशत की तुलना में जून 2022 में 7.01 प्रतिशत थी।

बढ़ते अंतरराष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों और महामारी से उत्पन्न आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण भारत सहित दुनिया भर में मुद्रास्फीति दरों में वृद्धि हुई है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने कच्चे तेल, गैस और धातुओं में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, लू से फसल को नुकसान हुआ है और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है।

जहां जून 2022 में 'ईंधन और विद्युत' में मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई, वहीं कुछ खाद्य पदार्थों के लिए जून 2021 की तुलना में उसी महीने में वृद्धि हुई।

(ग): पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए सीपीआई-सी अनुबंध में दिया गया है।

(घ): जून 2022 में बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान देने वाली शीर्ष दस वस्तुओं में टमाटर केरोसिन - पीडीएस, दूध, घर/गैरेज का किराया, एलपीजी(परिवहन को छोड़कर), चिकन, गेहूं/आटा - अन्य स्रोत,

दवा (गैर-संस्थागत), परिष्कृत तेल और आलू थे। जून 2022 में थोक मुद्रास्फीति में योगदान देने वाली शीर्ष दस वस्तुएं हाई स्पीड डीजल, कच्चा पेट्रोलियम, टमाटर, पेट्रोल, बिजली, कच्चा कपास, भट्ठी का तेल, मिट्टी का तेल, दूध और प्राकृतिक गैस थीं। पेट्रोल और एचएसडी पर उपकर सहित कुल उत्पाद शुल्क क्रमशः 19.9 रुपये प्रति लीटर और 15.8 रुपये प्रति लीटर है। सीएनजी पर कुल उत्पाद शुल्क 14 फीसदी है।

(ङ): मुद्रास्फीति का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई आपूर्ति संबंधी उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

1. पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कमी नवंबर 2021 में प्रभावी हुई। इसके बाद मई 2022 में पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में और कमी की गई।
2. जमाखोरी को रोकने के लिए जुलाई 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कुछ दालों पर स्टॉक सीमा लागू करना।
3. 26 जुलाई 2021 को मसूर पर आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को क्रमशः 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य और 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया गया। 12 फरवरी, 2022 को मसूर पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को कम करके शून्य किया गया। जुलाई 2022 में, एआईडीसी की मौजूदा शून्य दर को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
4. तुअर और उड़द को 31.03.2023 तक 'फ्री कैटेगरी' में रखते हुए 30 मार्च 2022 को आयात नीति में बदलाव किया गया है जिससे इनका सहज और निर्बाध आयात सुनिश्चित होगा।
5. खाद्य तेलों पर टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया गया है और जमाखोरी से बचने के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा रखी गई है। 21.12.2021 से रिफाइंड पाम तेल पर बुनियादी शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। 12.2.2022 से कच्चे पाम तेल पर बुनियादी शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था।
6. जून 2021 में, म्यांमार के साथ 2.5 एलएमटी उड़द और 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए और मलावी के साथ 0.50 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मोजाम्बिक के साथ समझौता ज्ञापन को 2 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
7. 14 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार कच्चे सोयाबीन तेल और परिष्कृत सूरजमुखी तेल पर कुल शुल्क 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
8. सरकार ने 24 मई, 2022 को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के वार्षिक आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर में छूट दी।
9. दिसम्बर, 2021 में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया भोजन' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया था। सोया भोजन पर स्टॉक सीमा 23 दिसंबर, 2021 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए लगाई गई है।
10. मार्च 202 में विशिष्ट खाद्य सामग्री आदेश, 2016 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने और सभी राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 31 दिसम्बर, 2022 की अवधि तक सभी खाद्य तेलों और तिलहनों की स्टॉक सीमा को बढ़ाकर दिनांक 3 फरवरी, 2022 के इसके केन्द्रीय आदेश में एक साथ संशोधन किया गया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी है।
11. जुलाई 2022 में, सरकार ने खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच उत्पादकों को खुदरा कीमतों में कमी को लागू करने और भौगोलिक क्षेत्रों में मूल्य एकरूपता सुनिश्चित करने

के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को खाद्य तेलों के एमआरपी में 15/- रुपये की कमी तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने यह भी सलाह दी है कि निर्माताओं और रिफाइनर द्वारा वितरकों को कीमत तुरंत कम करने की जरूरत है ताकि कीमतों में गिरावट किसी भी तरह से कम न हो।

12. भारत सरकार ने 21 मई 2022 को प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी के प्रावधान की घोषणा की।
13. सरकार ने कपास आयात पर 14 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक सीमा शुल्क माफ कर दिया है।
14. अन्य उत्पादों के साथ-साथ प्लास्टिक और स्टील पर आयात शुल्क भी काफी हद तक कम कर दिया गया है।

सरकार द्वारा किए गए उपायों से जून 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति और खुदरा मुद्रास्फीति दर में कमी आई है।

देश में रोजगार में सुधार के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ, देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए आत्मानिर्भर भारत पैकेज, आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए), उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, मनरेगा आदि शामिल हैं।

अनुबंध

8 **अगस्त** 2022 **के लिए श्री असादुद्दीन ओवैसी और अन्य लोगों द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 3572 **के उत्तर में भाग (ग) का उल्लेख**

सीपीआई-सी (आधार 2012) (वर्ष-दर-वर्ष) (%) पर आधारित मासिक खुदरा मुद्रास्फीति

वर्ष/माह	**मुद्रास्फीति दर (%)**
2017-18	3.59
2018-19	3.41
2019-20	4.77
2020-21	6.16
2021-22	5.51
2022-23	
अप्रैल	7.79
मई	7.04
जून*	7.01

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई,

नोट: * जून 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं

*****